

फर्द अहकाम
(नियम 26)

दालत उप जिला कलेक्टर

मुकाम

बांदाकुई

केलाय चर

बनाम

वन विभाग बांदा कुई

मुकदमा

डा. अ. क. नं. 28

बं०

68/2021

सन् 2021

रीख
म

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

24/11
पत्रावली प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021
केपे 377 संख्यात... (21/11/22) में
पेश हुई। प्रशासकों ने कोई सहमति नहीं दी
सकी। आगामी चुनावों हेतु दिनांक 2/11/22
को पेश हो।

उप जिला कलेक्टर
बांदा कुई (दोसा)

7-11-2022

पत्रावली फेर डुरे। वकील
शर्मा उप०, पत्रावली मंडल बांदा कुई
बांदा कुई, वनपाल बांदा कुई (उप)
से प्राप्त जांच रिपोर्ट संलग्न है।
शर्मा वकील को पुनः शर्मा वकील
कावत पत्थर (गोपी का) के अलावा किपों
शुद्धिक राज (क-अवावेद) संवत् 2074
के अलावा 65 अंश 192 के अलावा
70, 71। किला 2 संका 0.28 हे० पुनः टीकावली
ठाकी पत्थर मंडल बांदा कुई वकील
जिला दालत लिखित शर्मा केलाय चर
पुनः मोरीलाठे वेलो निकाही लक्ष्मण
बांदा कुई के नाम दर्ज है शर्मा वकील के



मय इनिशियल्स) जज
केल्ला ५५ वन १९५१)

वक्त
अस
हुक
म

पूरी डिग्री के (व.नं. 69 वन विभाग) की
भूमि है, जाचीने अपनी भूमि का सीमा
पट्टा पीछे माँगे, 12/1 बाड़ी कर ले
दिनांक 22-8-2015 का करवाया गया
लोकेशन डायग्री (वालेडारी वन विभाग)
की भूमि (व.नं. 70) ले सीमा पट्टा
रखा है जिसके समाधान हेतु पल्लवणी
करवाया जाता है

जाची जिनसे वास्तु शाकी रिपोर्ट
इयलवलीलमर बाड़ी कर के आगे
भूमि जाची (वालेडारी) भूमि है जिसका
भूमि सीमा का करवाया हुआ है
1 वन विभाग और प्रत्यक्ष रूप से पल्लवणी
वक्त (नयुक्त) ले के पल्लवणी किया
गया

हमने जाची वकील को (नर) प्रत्यक्ष
पल्लवणी का इशारा किया, आगे
भूमि का भूमि (सीमा) किमा हुआ है
लोकेशन जाची हुई 1 वन विभाग की
भूमि (व.नं. 69) ले सीमा पट्टा रखा है
है भूमि जाची की (वालेडारी) भूमि
(व.नं. 70, 71) कागज रिकॉर्ड में जाची
के नाम दर्ज है जिसका सीमा पट्टा
निवृत्त कर ले तदानी लया करवाया
को पल्लवणी किमे जाने के निदेश

वज
न नर
बारीदई (दोम)

